न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 8/2024

प्रार्थी

आसुराम पुत्र पूनाराम जाति कीर निवासी जसवन्तपुरा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या – सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–** 5/2/25

संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.4530 हैक्टेयर आयी हुई है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.4530 हैक्टेयर के दक्षिणी पूर्वी दिशा की ओर अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 7.9848 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी ख्खसरा नम्बर 134 रकबा 0.4530 हैक्टेयर की भूमि में बरसात के समय खेत की बुआई करने हेतु ग्राम जसवन्तपुरा से ग्राम बीरावास जाने वाली आम सड़क से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 7. 9848 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय के ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. मार्क स्थित रास्ता से होकर आते जाते है तथा इसी ए.बी.सी.डी.ई.एफ. जी. मार्क रास्ते से प्रार्थी अपना ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल आदि साधन लेकर जाते है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.4530 हैक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु का यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। अभी 10 दिन पहले प्रार्थी ने अप्रार्थी से निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.4530 हैक्टेयर में काश्त कार्य करने हेतु रास्ता दीजिये तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय के समक्ष दावा पेश करके रास्ते को प्राप्त कर सकते है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.4530 हैक्टेयर में काश्त करने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 7.9848 हैक्टेयर के ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. भाग से होकर गुजरना पड़ता है और यही भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.4530 हैक्टेयर में जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। भूमि खसरा नम्बर 135 के ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. भाग से ही भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.4530 हैक्टेयर में जाने हेतु काश्त कार्य हेतु अपने ट्रेक्टर मवेशी, मोटर साईकिल इत्यादि को लेकर जाते है। इस प्रकार प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 135 के ए.बी.सी.डी. ई.एफ.जी. भाग के रास्ते को उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 134

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रकबा 0.4530 हैक्टेयर में काश्तकार्य करने का अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 135 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. का रास्ता आत्यतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध खसरा नम्बर 135 में स्थित ए.बी.सी.डी.ई. एफ.जी. मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। विवादग्रस्त भूमि ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना–पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम जसवन्तपुरा तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.4530 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए आने–जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 7.9848 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय के ए.बी.सी. डी.ई.एफ.जी. भाग से होकर रास्ता निकलता है, जो खसरा नम्बर 134 में पहुंचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपभोग में लेते है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावें तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावें। खसरा नम्बर 135 रकबा 7.9848 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी. के रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के ग्राम जसवंतपुरा में स्थित खसरा सं. 134 में आने जाने के लिए वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में जाने के लिए आस–पडौस के खेतों से आना जाना करते है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं है। प्रार्थी के द्वारा वांछित रास्ते की भूमि खसरा सं. 135 कुल रकबा 49.07 बीघा किस्म बा तृतीय सिवायचक भूमि है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि से रास्ता उपयोग हेतु रकबा 0.03 बीघा भूमि जायेगी। जिसकी वर्तमान डीएलसी दर प्रति हैक्टयर 32000/– रूपये है। जिसकी दो गुणा राशि 9730 रूपये है। उक्त भूमि ग्राम जसवंतपुरा बीरावास पिचियाक डामर रोड से लगती है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीशनर रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 को

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अदा करने को तैयार है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम जसवंतपुरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.4530 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 135 रकबा 7.9848 हैक्टयर के मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 134 में पहुचता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक पिचियाक के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थी अप्रार्थी तहसीलदार बिलाडा को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 08.11.2024 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा